

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हिण्डौन

मुकदमा न०
460/2020

किस्म मुकदमा
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु
21.08.2022

तारीख फैसला
13.08.2022

उनवान

मुनेश बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का कस्बा हिण्डौन एवं भू अभिलेख निरीक्षक हिण्डौन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हिण्डौन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 में खाता संख्या 837 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हिण्डौन	878 खसरा न० 8153, 8193, 8194	मुकेश पुत्र परसराम	मुनेश नोट:- सहखातेदार प्रार्थी का नाम मुकेश के स्थान पर मुनेश का अंकन किया जावे।

(अनूप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार हिण्डौन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मुनेश पुत्र परसराम जाति कुम्हार निवासी मण्डावरा फाटक हिण्डौन को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन